(अनवान मोहम्मद खुरम बनाम हनीफ कौर
राजस्व वाद संख्या :– 86/2024)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान राजस्व वाद संख्या 86/2024

मोहम्मद खुरम पुत्र रफीक मोहम्मद, आयु 36 वर्ष, निवासी गांव मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—वादी

बनाम

1. हनीफ पुत्र फैजअलीखां निवासी गांव मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. हसीना पत्नी रज्जाकअली निवासी गांव मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद पुरानी आबादी, रिद्धि–सिद्धि के येवाटपीछे, श्रीगंगानगर।
3. मुन्नी पत्नी हफीज निवासी गांव मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) शाखा मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण :

1. श्री हंसराज तनेजा	वादी
2. श्री कुलदीप पंवार	प्रतिवादी संख्या 3
3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर	प्रतिवादी संख्या 5

प्रतिवादी संख्या 1, 2,,4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10.07.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादी का मुख्य पेशा खेती है तथा खेती के आधार पर ही अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वादी के नाम संयुक्त खाता वाके चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता संख्या 77/54 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नं० 1 ता 25 कुल 6.2000 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नम्बर 49 के किला नं0 22/1 में 0.1260 हैक्टेयर कुल 6.3260 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है, जिसमे से वादी 1/4 हैक्टेयर यानि 1.5815 हैक्टेयर कृषि भूमि का मालिक काबिज है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में मौखिक बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से की जमीन का किलावाईज बंटवारा किया हुआ है और उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर किलावाईज काबिज है तथा वादी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

([illegible])

कब्जा काश्त की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 5 के किला नं0 20 ता 25 सालम, 19 में 5 बिस्वा जिसके साथ सिपती हुई कृषि भूमि किला नं0 16 ता 18 सालम, 19 में 15 बिस्वा, 11, 12 सालम, 13 के 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 मुन्नी के नाम से है, है और इसी अनुसार काश्त कर रहा है और काफी रुपया खर्च करके जमीन को उपजाऊ बनाया है और आज उक्त कृषि भूमि काफी उपजाऊ होने के कारण और बाजार मूल्य वृद्धि होने के कारण वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण हड़पने का प्रयास कर रहे है और इस आधार पर वादी अपने कब्जा काश्त कृषि भूमि का खाता विभाजन किलावाईज करवाने का अधिकारी है। वादी की कब्जा काश्त भूमि के आधार पर प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक रूप से कहा गया कि वादी के कब्जा काश्त अनुसार वादी के नाम किलावाईज बंटवारा कर उसके नाम राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवावे, परन्तु प्रतिवादीगण हर बार टाल–मटोल करते रहे और प्रतिवादीगण के मन में लालच आ जाने के कारण वादी के कब्जा काश्त की भूमि में जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण, वादी की कब्जा काश्त कृषि भूमि मुरबा नम्बर 5 के किला नं0 20 ता 25 सालम, 19 में 5 बिस्वा (जिसके साथ सिपती हुई कृषि भूमि किला नं0 16 ता 18 सालम, 19 में 15 बिस्वा, 11, 12 सालम, 13 के 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 मुन्नी के नाम से है) में किसी प्रकार से मदाखलत बेजा करने से निषेधित एवं अवरूद्ध रहें। वादी द्वारा अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है और वर्तमान मे भी फसल काश्त कर रखी है। प्रतिवादीगण, वादी के कब्जा काश्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की फिराक मे है। इसलिए वादी को यह विश्वास हो गया है कि वादी के बिना वाद लाये प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि का किलावाईज विभाजन नहीं करवायेंगे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से यह आग्रह किया गया कि पूर्व में किए गए बंटवारा जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहे है, उसी अनुसार किलावाईज बंटवारा कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवावे, तो प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 23–05–2024 को स्पष्ट इन्कारी है, इसलिए वाद हाजा लाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 4 बैंक है, जहां प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की भूमि रहन रखी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड हॉल्डर है, इसलिए औपचारिक पक्षकार है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष है 1 नहीं चाहा गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि चूंकि श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार मे होने वाद पत्र श्री मान जी के सुनवाई योग्य एवम् उचित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि प्रश्नगत कृषि भूमि वाके चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता संख्या 77/54 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नं0 1 ता 25 कुल 6.2000 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नम्बर 49 के किला नं0 22/1 में 0.1260 हैक्टेयर कुल 6.3260 हैक्टेयर में से वादी का 1/4 हैक्टेयर यानि 1.5815 हैक्टेयर है, जो कि पूर्व में किए गए मौखिक बंटवारानुसार वादी की कब्जा काश्त कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 5 के किला नं0 20 ता 25 सालम, 19 में 5 बिस्वा का किलावाईज बंटवारा कर खाता विभाजन कर खातेदार घोषित किया जावे ।

(हस्ताक्षर)
खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(ख) कि स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण, वादी की कब्जा काश्त कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 5 के किला नं0 20 ता 25 सालम, 19 में 5 बिस्वा (जिसके साथ चिपती हुई कृषि भूमि किला नं0 16 ता 18 सालम, 19 में 15 बिस्वा, 11, 12 सालम, 13 के 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 मुन्नी के नाम से है) में किसी प्रकार से मदाखल बेजा करने से निषेधित एवं अवरूद्ध रहें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हक मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे हो दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की तलबी विधिवत होने पर एवं प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण संख्या 1, 2, 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसके वाद पत्र की मद संख्या 8 की उप मद संख्या क, ख, ग स्वीकार है। अतः इकबाली जवाब वाद पत्र पेश कर श्रीमानजी से अर्ज है कि वादी का वाद स्वीकार कर लिया जावे तो मुझ प्रतिवादिया संख्या 3 को कोई एंतराज नहीं है तथा मुझ प्रतिवादिया की भूमि मुरब्बा नं.5 के किला नं. 16 ता 18 सालम 19 में 15 बिस्वा 11,12 सालम, 13 की 10 बिस्वा जो कि दावा के अनुतोष की पैरा संख्या 8 (ख) में वर्णित है उस अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि वादी एवम् प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खाता में है। प्रतिवादी 1,2, 4, के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा एवम् काउंटरक्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 का काउंटरक्लेम स्वकार किया जावे तो वादी को कोई ऐतराज नहीं है। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कथन किए गये कि वाद वादी मय काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 3 स्वीकार किया जाकर प्रकरण में वादीगण की भूमि का हिस्सा व कब्जा अनुसार प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद का निर्णय किया जावे। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–2076 चक 10 एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जेवाला, भू.अ.नि. मिर्जेवाला, खाता संख्या 77/54 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खाता की आराजी है जिसमें वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 3 प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 4658 दिनांक 27.06.2025 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर कर वाद का निर्णय मुताबिक प्रस्ताव किये जाने का निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

|| आदेश ||

वाद वादी एवम्, काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 3 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	मोहम्मद खुरम पुत्र रफीक मोहम्मद(वादी)	चक 10 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 19 में 0.063 हैक्टयर, किला नं. 20 ता 24 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 25 में 0.228 हैक्टर कुल 1.556 हैक्टेयर नहरी भूमि
2	मुन्नी पत्नी हफीज (प्रतिवादी संख्या 3)	चक 10 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 11, 12 सालम, 19 में 0.190 हैक्टर कुल 1.556 हैक्टर नहरी भूमि
3	हनीफ पुत्र फैजअलीखा (प्रतिवादी सं.1) व हसीना पत्नी रज्जाक अली (प्रतिवादी सं.2)	चक 10 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 1 ता 4 सालम, किला नम्बर 5, 6 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर, किला नमबर 7, 8, 9 10 सालम व किला नम्बर 13 में 0.127 हैक्टर व 14 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15 में 0.228 हैक्टर कुल 3.088 हैक्टर नहरी भूमि
4	वादी मुहम्मद खुरम व प्रतिवादी हनीफ, हसीना व मुन्नी की हिस्सा अनुसार भूमि मुरबा नम्बर 49 के किला नम्बर 22/1 की 0.126 हैक्टर नहरी भूमि **नोट :- मुरबा नम्बर 49 के किला नम्बर 22 में रास्ता नहीं होने के कारण संयुक्त रखा गया है।**	

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.07.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner